

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 568 / 2022

वाद पत्र अ0 धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

1. प्रेमचन्द पुत्र मलन राम
2. कपिल पुत्रगण
3. बबलू अनिल कुमार
4. गन्जू देवी पत्नी अनिल कुमार
5. कैलाश पत्नी बनवारी लाल

जाति जाट निवासी ढावां
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण



बनाम

1. जयपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह
- कुलविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह (फौत)
- 2/1 जसवन्त सिंह पु0 कुलविन्द्र सिंह
3. गुरदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह
4. गुरमेल सिंह पुत्र मेजर सिंह
5. गुरलाल सिंह पुत्र मेजर सिंह
6. गुरचरण सिंह पुत्र मुंशी सिंह
7. दान कौर पत्नी मुंशी सिंह (फौत)
- 7/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मुंशी सिंह
8. गुजर सिंह पुत्र बहाल सिंह (फौत)
- 8/1 अंजु सिंह पुत्र गुजर सिंह
9. करतार सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 9/1 दर्शन सिंह पुत्र करतार सिंह
10. दरबारा सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 10/1 मेजर सिंह पुत्र दरबारा सिंह
11. भाला सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 11/1 जसविन्द्र सिंह पुत्र भाला सिंह
12. ठाणा सिंह पुत्र जग्गू सिंह
13. ख्याली पुत्र फुमन
14. मल सिंह पुत्र फुमण सिंह (फौत)
- 14/1 हरी सिंह पुत्र मल सिंह
15. गुरदीप सिंह उर्फ दलीप सिंह
16. प्रीतम सिंह
17. मुख्यार सिंह
18. गुरप्रीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
19. जगतार सिंह पुत्र जयपाल सिंह

जाति जटसिख निवासी ढावां
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाट निवासी ढावां

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

पुत्रगण
रणधीर सिंह

जाति जटसिख निवासी ढावां
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़



महायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया Page 1 of 5

20 निक्का सिंह पुत्र इसर सिंह (फौत)

20/1 राम सिंह पुत्र निक्का सिंह

21 रामप्रताप सिंह मुरमुख

22 हरिराम पुत्र मुरमुख

23 रामरख पुत्र सुल्तान

24 राजेन्द्र पुत्र मुशी सिंह जाति जाटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

25 सुरजीत सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जाटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

26 आत्मा सिंह पुत्र अरजत सिंह (फौत)

26/1 जसपाल सिंह पुत्र आत्मा सिंह

27 गुरदेव सिंह पुत्र जंगा सिंह (फौत)

27/1 परमजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह

28 जगपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह

28/1 मुखदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह

30 मुखदेव सिंह पुत्र जगा सिंह

31 अरजन सिंह पुत्र जगा सिंह

32 धनकौर पुत्री जगा सिंह (विलोपित)

33 सुल्तान सिंह पुत्र नत्थु सिंह उर्फ नत्था सिंह

34 सरजीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह

35 परमजोत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह

36 प्रेम सिंह पुत्र भाल सिंह

37 बलविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह

38 आत्मा सिंह पुत्र अरजन सिंह (विलोपित)

39 रजनीशपाल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह

40 सीता पुत्री जगा सिंह (विलोपित)

41 हरदश सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह

42 दरबारा सिंह पुत्र गंगू सिंह

43 फत्ता सिंह पुत्र फुमन सिंह (फौत)

43/1 राम सिंह पुत्र फत्ता सिंह

44 विचित्र सिंह पुत्र ईशर सिंह (फौत)

44/1 नक्षत्र सिंह पुत्र विचित्र सिंह

45 हरि सिंह पुत्र दान सिंह (फौत)

45/1 बहाल सिंह पुत्र हरि सिंह

46 शाखा प्रबन्धक ओबीसी/पीएमबी शाखा ढाबा

47 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नई धान मण्डी संगरिया

48 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाटसिख निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाट निवासी ढाबा

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

- प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री राजेश बुडानिया - वकील कादीगण

निर्णय

दिनांक - 07.08.2024

वादीगण प्रेम कुमार आदि ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह सत्यसम वाद कायदा घोषणा 23 तक्सीम खाता के तहत दिनांक 04/11/2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का संबंधित पता व्यवहार प्रक्रिया समिति के प्रावधानों के अन्तर्गत

07.08.2024

प्रतिवादीगण

वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि नाम चक नं. 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 11/47 ज.स. 2071-2074 में वादी सं. 1 का नाम 1.555 है। व वादी सं. 2 ता 4 का नाम 1.556 है व वादी सं. 5 के नाम 2.024 है। व चक नं. 6 बीजीपी(ए.) खाता सं. 58/80 ज.स. 2073-2076 खाता सं. आत्मा सिंह पगैरा ने वादी सं. 1 के नाम 3.074 है। कृषि भूमि साझा खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि वादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंती अनुसार घर-विभाजन कर लिया था। मुताबिक घर-विभाजन होने पर वादी सं. 5 ने 2.024 है। भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था मुताबिक घर-विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के कोई विवाद नहीं किन्तु रकबा साझा में होने के कारण सौवट व रकम राज व खाता अपवादित होने के कारण विवाद बना रहता है। इसलिए वादीगण मुताबिक घर-विभाजन अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घर-विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आई



(क) वादी सं. 1 प्रेम चंद के हक व हिस्सा की भूमि-

चक नं. 6 बीजीपी(ए.)

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
201/142	60	9/0.253 है, 11/0.114 है, 12/0.076 है.
206/142	61	5/0.177 है.

कुल 0.620 है.

(ख) वादी सं. 1 प्रेमचंद का 0.510 है. हिस्सा व वादी सं. 2 ता 4 कपिल व बबलु व मन्जू देवी का 1.518 है. बहिब हक व हिस्सा की भूमि

चक नं. 1 एस.एन.जी.

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
212/150	36	4/1/0.051 है, 4/2/0.038 है. गैरमु. रास्ता,
		5/1/0.190 है, 5/2/0.045 है, 6/0.253 है, 7/2/0.

215 है.

7/3/0.018 है, 14/0.240 है, 15/0.253 है, 16/0.013 है,
1,10,11/0.253 है. प्र.

कुल 2.088 गैरमु. रास्ता,

(ग) वादी सं. 5 कैलाश के हक व हिस्सा की भूमि-

पं.नं. मु.नं.

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
212/150	36	8/1/0.114 है, 8/2/0.051 है. गैरमु. रास्ता,
		11/1/0.063 है, 11/2/0.045 है. गैरमु. रास्ता,
		12/1/0.190 है, 12/2/0.042 है. गैरमु. रास्ता,
		13/0.190 है, 19/0.253 है.,
		20/1/0.202 है, 20/2/0.018 है. गैरमु. रास्ता,
		21,22/0.253 है. प्र.

212/151 47

1,2/0.506 है.

कुल 2.180 है. मय गैरमु.

कि वादी सं. 5 ने चक नं. 1 एस.एन.जी. खाता सं. 11/47 में 2.024 है. कृषि भूमि खरीद की थी। इसी अनुसार भूमि का गैरमु. रास्ता 0.156 है. भूमि के साथ चिपती भूमि वादी सं. 5 के कब्जा काश्त में है इसलिए वादी सं. 1 एस.एन.जी. खाता सं. 11/47 में 0.156 है गैरमु. रास्ता अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को

मंगरिया
उपजय अधिकारी
मंगरिया

वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल-मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी सं. 46 व 47 के पक्ष में रकवा रहने होने के कारण व प्रतिवादी सं. 48 की लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। कि वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रुपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे। (क) कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे। (ख) कि वादीया सं. 5 का चक नं. 1 एस.एन.जी. खाता सं. 11/47 में 0.156 है. गैरमुस्ता का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।



उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, रजीस्टर्ड डाक, समाचार पत्र तलब किया गया। प्र.सं. 1,2/1,3ता6,7/1,8/1,9/1,10/1,11/1,12,13,14/1,15ता19,20/1,21ता25, 26/1,27/1,28ता31,33ता37,39,41,42,43/1,44/1,45/1,46,47 द्वारा हाजिर अदालत ना आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र आ 1 नि 10 व आ 22 नि 4 सी.पी.सी प्रस्तुत किया स्वीकार किया गये। प्रतिवादीगण द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने के कारण वाद पत्र में तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर प्रदान किया गया साक्ष्य वादी में वादी सं 1 ने शपथ पत्र अर्त आ 18 नि 4 सी.पी.सी प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के तथ्यों का दोराहाया गया एव सलग्न जमाबंदी चक नं. 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 11/47 जं.सं. 2071-2074 चक नं. 6 बीजीपी(ए.) खाता सं. 58/80 जं.सं. 2073-2076 प्रदर्श 1 व 2 है उक्त खातो विवादीत होने के कारण उभयपक्ष वाद पत्र में कब्जा काश्त संबधी साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहा इसलिए न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व संगरिया को पत्र क्रमाक रीडर/2023/18 दिनाक 05-01-2023 जारी किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मगवाया गया। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव क्रमाक/भू.अ/2024/2826 दिनाक 24-07-2024 को प्रस्तुत किया गया जो शामिल प्रत्रावली किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विरोध न करते हुऐ कथन किया कि वादीगण का खाता तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमाक/भू.अ/2024/2826 दिनाक 24-07-2024 के कब्जा काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

महामुखी न्यायाधीश एव
उपजज अधिकारी Page 4 of 5
संगरिया

अन्य प्रतिवादीगण के नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाने हेतु निवेदन किया

बहस पर मन्नन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से मोका पर कब्जा काश्त का तर्कील वादीगण व प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रतिवादीगण द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने के कारण पककरण से उनकीगत कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादीगण का वादपत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने योग्य है।

--: क्रियात्मक आदेश :-



अतः वाद वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के उक्त विवेचन के आधार पर डिकी किया जाता है कि चक नं. 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 11/47 ज.सं. 2071-2074 व चक नं. 6 बीजीपी(ए.) खाता सं. 58/80 ज.सं. 2073-2076 में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त में विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/भू.सं. 2024/2826 दिनांक 24-07-2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है

पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07-08-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिशासी संगरिया
संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 568/2022

वाद पत्र अंधारा :- 88/53 आरटीए

1. प्रेमचन्द पुत्र मलन राम
2. कपिल पुत्रगण
3. बबलू अनिल कुमार
4. मन्जू देवी पत्नी अनिल कुमार
5. कैलाश पत्नी कनवारी लाल

जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम्

1. कुलविन्द सिंह पुत्र मेजर सिंह
- 2/1 जसवन्त सिंह पु0 कुलविन्द्र सिंह
3. गुरदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह
4. गुरमेल सिंह पुत्र मेजर सिंह
5. गुरलाल सिंह पुत्र मेजर सिंह
6. गुरचरण सिंह पुत्र मुशी सिंह
7. दान कौर पत्नी मुशी सिंह (फौत)
- 7/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मुशी सिंह
8. गुजर सिंह पुत्र बहाल सिंह (फौत)
- 8/1 अंग्रेज सिंह पुत्र गुजर सिंह
9. करतार सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 9/1 दर्शन सिंह पुत्र करतार सिंह
10. दरबारा सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 10/1 मेजर सिंह पुत्र दरबारा सिंह
11. भाला सिंह पुत्र जग्गू सिंह (फौत)
- 11/1 जसविन्द्र सिंह पुत्र भाला सिंह
12. ठाणा सिंह पुत्र जग्गू सिंह
13. ख्याली पुत्र फुमन
14. मल सिंह पुत्र फुमण सिंह (फौत)
- 14/1 हरी सिंह पुत्र मल सिंह

जाति जटसिख निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाट निवासी ढाबा

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

15. गुरदीप सिंह उर्फ दलीप सिंह
16. प्रीतम सिंह
17. मुख्तियार सिंह
18. गुरप्रीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
19. जगतार सिंह पुत्र जयपाल सिंह

पुत्रगण
रणधीर सिंह

जाति जटसिख निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

20 निक्का सिंह पुत्र इसार सिंह (फौत)

20/1 राम सिंह पुत्र निक्का सिंह

21 रामप्रताप सिंह गुरमुख

22 हरिराम पुत्र गुरमुख

23 रामरख पुत्र सुल्तान

24 राजेन्द्र पुत्र मुशी सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

25 सुरजीत सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

26 आत्मा सिंह पुत्र अरजन सिंह (फौत)

26/1 जसपाल सिंह पुत्र आत्मा सिंह

27 गुरदेव सिंह पुत्र जगा सिंह (फौत)

27/1 परमजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह

28 जगपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह

29 मुखदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह

30 गुरदेव सिंह पुत्र जगा सिंह

31 सरवन सिंह पुत्र जगा सिंह

32 धनकोर पुत्री जगा सिंह (विलोपि)

33 सुल्तान सिंह पुत्र नत्थु सिंह उर्फ नत्था सिंह

34 सरजीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह

35 परमजीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह

36 प्रेम सिंह पुत्र भाल सिंह

37 बलविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह

38 आत्मा सिंह पुत्र अरजन सिंह (विलोपि)

39 रजनीशपाल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह

40 सीता पुत्री जगा सिंह (विलोपि)

41 हरदश सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह

42 दरबारा सिंह पुत्र गगू सिंह

44 फत्ता सिंह पुत्र फुमन सिंह (फौत)

43/1 राम सिंह पुत्र फत्ता सिंह

44 विचित्र सिंह पुत्र इंशर सिंह (फौत)

44/1 नक्षत्र सिंह पुत्र विचित्र सिंह

45 हरि सिंह पुत्र दान सिंह (फौत)

45/1 बहाल सिंह पुत्र हरि सिंह

46 शाखा प्रबन्धक ओडीसी / पीएनबी शाखा ढाबा

47 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नई धान मण्डी संगरिया

48 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जटसिख निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाट निवासी ढाबा

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

दिनांक :- 07-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष
पारस्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण के
मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक्र नं. 1 एस.एन.जी. के
खाता सं. 11/47 जं.स. 2071-2074 व चक्र नं. 6 बीजीपी(ए) खाता सं. 58/80 जं.स.
2073-2076 में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त में विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अ/2024/2826 दिनांक 24-07-2024 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) चक 1 एसएनजी के खाता संख्या 11/47

1. मन्जूदेवी पत्नी अनिलकुमार 0.506 हि कपिल, बबलू पि अनिलकुमार बहिब 1.012 हि प्रेमकुमार पुत्र मलनराम 0.570 हि जाति जाट सा. ढाबा प.न. 212/150 मु.न. 36 किला नं. 4/1/0.051 है 4/2/0.038 है गै.मु रास्ता 5/1/0.190 5/2/0.045 है गै.मु रास्ता 6/0.253 है 7/2/0.215 है 7/3/0.018 है गै.मु रास्ता 14/0.240 है 15/0.253 है 16/0.013 है 25/2/0.013 है प.न. 213/150 मु.न. 37 किला नं. 1,10,11/0.253 है प्र कुल रकबा 2.088 है नहरी मय गै.मु
2. कैलाश पत्नी बनवारीलाल जाति जाट सा. 1 एसएनजी ढाबा प.न. 212/150 मु.न. 36 किला नं. 8/1/0.114 है 8/2/0.051 है गै.मु रास्ता 11/1/0.063 है 11/2/0.045 है गै.मु रास्ता 12/1/0.190 है 12/2/0.042 है गै.मु रास्ता 13/0.190 है 19/0.253 है 20/1/0.202 है 20/2/0.018 है गै.मु रास्ता 21,22/0.253 है प्र प.न. 212/151 मु.न. 47 किला नं. 1,2/0.253 है प्र कुल रकबा 2.180 है नहरी मय गै.मु.
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र मुन्शीसिंह 1/2 हि गुरप्रीतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह 1/2 हि जाति जटसिंह सा. ढाबा प.न. 213/150 मु.न. 37 किला नं. 2,8,9,12,13,18,19,20,22,23/0.253 है प्र कुल रकबा 2.530 है नहरी

(ख) चक 6 बीजीपी (ए) के खाता संख्या 58/80

1. मंजू पत्नी सुभाष 1/2 हि कृष्णा पत्नी पालाराम 1/2 हि जाति जाट सा. ढाबा प.न. 206/142 मु.न. 61 किला नं. 15/0.177 है प.न. 207/142 मु.न. 60 किला नं. 9/0.253 है 11/0.114 है 12/0.076 है कुल रकबा 0.620 है नहरी

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक/भू.अ/2024/2826 दिनांक 24-07-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।
नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिकित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरांमंद कर दिया जावे।

निज नल मुस्लिम निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयावी तक अदा करें।
दसबत् मेरे दस्तखत एव मुहर अदालत से आज दिनांक 07-08-2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक क्लर्क राब
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया